



14 सितंबर, 2023

## हिंदी दिवस संदेश

डीएफसीसीआईएल परिवार के मेरे साथियो,

हिंदी दिवस के शुभ अवसर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी की लोकप्रियता, व्यापकता और वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए इसे देश की राजभाषा स्वीकार किया।

भाषा व्यक्ति की ही नहीं राष्ट्र की भी सबसे बड़ी पहचान है। संस्कृति और संस्कार अपनी भाषा में ही प्रतिबिंबित होते हैं। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें उस राष्ट्र के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के साथ-साथ राजभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ रीति रिवाज, खानपान, रहन सहन और भाषा के स्तर पर अनेकता पाई जाती है। वास्तव में यही विविधता हमारी पहचान और अनेकता में एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में हिंदी "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना की ओर प्रेरित करती है। भारत की एकजुटता के लिए हिंदी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान दिया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा व्यवहार से सरल, सुबोध और सशक्त बनती है। जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है राजभाषा होने के कारण हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य है कि हम अपना सभी सरकारी काम-काज हिंदी में ही करें। राजभाषा में कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के प्रयोग करने से राजभाषा को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है। आम बोलचाल की भाषा के सरल हिंदी प्रयोग से हिंदी को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा अत्यंत सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती है, जो अनुवाद की भाषा से कदापि संभव नहीं है। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबके द्वारा किया गया अकेला प्रयास भी सागर को भरने वाली बूंद का कार्य करेगा।

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना क्रांति के कारण हिंदी को अधिकाधिक विस्तार मिला है। आज स्थिति यह है कि कंप्यूटर पर ही नहीं मोबाइल, सोशल साइट आदि पर हिंदी काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। मेरा मानना है कि हिंदी के विकास, प्रचार-प्रसार आदि के लिए उसे तकनीक, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान की आत्मनिर्भर भाषा बनाना अत्यंत आवश्यक है।

आइए, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम एक साथ मिलकर मन, वचन और कर्म से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय एवं सृजनात्मक सहयोग देंगे और डीएफसीसीआईएल में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और डीएफसीसीआईएल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को अभूतपूर्व नए आयाम देंगे।

जय हिंद !

(रविन्द्र कुमार जैन)